

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1987]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1987]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2662(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2070(अ) दिनांक 9 जून, 2016, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 13 जून, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है।

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 13 और पृष्ठ संख्या 26 पर तालिका में तालुका : महुधा को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर तालुका : ठासरा पढ़ा जायें।

[फा. सं. आर-31015/8/2016-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 2070(E), dated 9th June, 2016 published in the Extraordinary Gazette of India dated 13th June, 2016 as under namely,

In the said Notification at Page No. 13 and Page No. 26, in Table, Taluka : “Mahudha” Shall be deleted and it should be read as Taluka : Thasra.

[F. No. R-31015 / 8 /2016-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.